

प्रेस नोट

दिनांक 12.09.2021

सराहनीय कार्य थाना रामगंज पुलिस

12 हजार रूपये का ईनामिया अभियुक्त 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.09.2021 को थानाध्यक्ष तरुण कुमार पटेल थाना रामगंज मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 42/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित व ईनामिया अभियुक्त हसी उर्फ लल्लन पुत्र हबी उल्ला नि0 उपाध्यायपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को छीड़ा बार्डर के पास से समय करीब 01:10 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । गिरफ्तार अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में वांछित व 12,000/ रूपये का ईनामिया अभियुक्त है । थाना रामगंज द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- हसी उर्फ लल्लन पुत्र हबी उल्ला नि0 उपाध्यायपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 42/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना रामगंज जनपद अमेठी । (में ईनामिया)

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 126/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामगंज जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष तरुण कुमार पटेल थाना रामगंज जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 प्रमोद कुमार चौकी प्रभारी रामगंज थाना रामगंज जनपद अमेठी ।
3. उ0नि0 चन्दहार शुक्ला थाना रामगंज जनपद अमेठी ।
4. हे0का0 राकेश कुमार थाना रामगंज जनपद अमेठी ।
5. का0 कृष्ण कुमार थाना रामगंज जनपद अमेठी ।
6. का0 रोहित थाना रामगंज जनपद अमेठी ।
7. का0 मदन पाल थाना रामगंज जनपद अमेठी ।
8. का0 मनोज विश्वकर्मा थाना रामगंज जनपद अमेठी ।
9. का0 धर्मेन्द्र यादव थाना रामगंज जनपद अमेठी ।